

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 246/2021

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. मोहनलाल पुत्र नत्थुराम माली 2. जेठाराम पुत्र मोहनराम 3. हेमाराम पुत्र मोहनराम 4. दाखूदेवी पत्नी नत्थुराम 5. पूनाराम पुत्र नत्थुराम 6. मदनलाल पुत्र नत्थुराम 7. हुकमाराम पुत्र नत्थुराम 8. उगमसिंह पुत्र मदनलाल 9. जगदीश पुत्र श्रवणलाल 10. सुरेन्द्र पुत्र हुकमाराम जातियान-माली, निवासी-चौखा, तहसील व जिला जोधपुर		1. जयसिंह सोलंकी पुत्र मागीलाल निवासी-सोलंकीयाँ का बास, ग्राम चौखा, तहसील व जिला जोधपुर प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट 2. श्रवण पुत्र मदनलाल माली निवासी -चौखा, तहसील व जिला जोधपुर 3. मेहताबसिंह पुत्र करणसिंह राजपूत निवासी-चौखा, तहसील व जिला जोधपुर 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत आदेश जो उपखण्ड अधिकारी, जिला जोधपुर के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 42/2015 अनवान जयसिंह बनाम मोहनलाल वगैराह में दिनांक 19.02.2021 को पारित किया गया ।

उपस्थिति:-

- 1- श्री सुगनमल परिहार, सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से ।
- 2- श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
- 3- श्री नवल सिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं0 4 की ओर से ।



राजस्व अपील संख्या 85/2023

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. मोहनलाल पुत्र नत्थुराम माली 2. जेठाराम पुत्र मोहनराम 3. हेमाराम पुत्र मोहनराम 4. दाखूदेवी पत्नी नत्थुराम 5. पूनाराम पुत्र नत्थुराम 6. मदनलाल पुत्र नत्थुराम 7. हुकमाराम पुत्र नत्थुराम 8. उगमसिंह पुत्र मदनलाल 9. जगदीश पुत्र श्रवणलाल 10. सुरेन्द्र पुत्र हुकमाराम जातियान-माली, निवासी-चौखा, तहसील व जिला जोधपुर		1. जयसिंह सोलंकी पुत्र मागीलाल निवासी-सोलंकीयाँ का बास, ग्राम चौखा, तहसील व जिला जोधपुर 2. मेहताबसिंह पुत्र करणसिंह राजपूत निवासी-चौखा, तहसील व जिला जोधपुर 3. श्रवण पुत्र मदनलाल माली निवासी -चौखा, तहसील व जिला जोधपुर 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत आदेश जो उपखण्ड अधिकारी, उत्तर, जिला

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

जोधपुर के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 42/2015 अनवान जयसिंह बनाम मोहनलाल वगैराह में दिनांक 18.11.2022 को पारित किया गया ।

उपस्थिति:-

- 1- श्री सुगनमल परिहार, सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से ।
- 2- श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 की ओर से ।
- 3- श्री नवल सिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं0 4 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 2 अक्टूबर, 2023

उपरोक्त दोनों अपील प्रकरणों में पक्षकारान एक समान होने, वादग्रस्त भूमि एक होने तथा विषयवस्तु एक समान होने से संयुक्त निर्णय से निर्णित किया जा रहा है। निर्णय की एक-एक हस्ताक्षरशुदा प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली में संलग्न की जावें।

प्रस्तुत अपीलों के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश करते हुए मौजा ग्राम मोकलावास के अपनी ख0सं0 470 के रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा भूमि आई हुई है जिसमें प्रार्थी व अन्य सहखातेदारों के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया हुआ है। जिसमें से रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा भूमि रेस्पो0 की खरीद की हुई है। उक्त खरीदशुदा भूमि पर नाप व बाड के कारण बिना किसी कारण से पडौसी खसरान के खातेदारान के साथ विवाद बन जाता है एवं फसल खडी होने के कारण भूमि का सीमांकन कर पत्थरगढी नहीं करवाई जा सकी। विवाद होने से प्रार्थी अपनी खातेदारी की पत्थरगढी करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सीमांकन व नाप करवाकर पत्थरगढी करने का निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 27.6.2019 को स्वीकार करते हुए तहसीलदार, जोधपुर को दिये गये कि मौका फर्द व दर्शाये गये नक्शे के अनुसार मौके पर माटे कायम कर पत्थरगढी किये जावें।

उक्त आदेश के विरुद्ध अति0 संभागीय आयुक्त न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट के द्वारा अपील पेश की जिस पर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त न्यायालय के द्वारा दिनांक 16.1.2020 के द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करते हुए ख0सं0 470 के पडौसी खातेदारान को नोटिस जारी कर उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पक्षकारान की उपस्थिति में पुनः सीमाज्ञान के बाद नये सिरे से विधिवत पत्थरगढी करने के आदेश पारित किया गया। इसके पश्चात



अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

रेस्पोंड द्वारा दिनांक 4.2.2020 को संशोधित प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया जिसमें सभी को पक्षकार स्थापित किया गया व संशोधित प्रार्थना पत्र को दिनांक 19.2.2021 के आदेश द्वारा स्वीकार किया गया। दिनांक 19.1.2021 के आदेश के विरुद्ध अपीलान्टस ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त न्यायालय के समक्ष एक अपील पेश की जो विचाराधीन है। उक्त अपील में न्यायालय हाजा द्वारा विचारण न्यायालय की मूल पत्रावली को तलब करने हेतु अनेको पत्र जारी किये गये परन्तु मूल पत्रावली अपीलिय न्यायालय को नहीं भेजी गई व जानकारी लेने पर बताया गया कि पत्रावली मिल नहीं रही है।

अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए रेस्पोंड संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए दिनांक 18.11.2022 को निर्णय पारित करते हुए निर्देशित किया कि उक्त खसरा भूमि की पक्षकारों को सूचित करते हुए उनकी मौजूदगी में तहसीलदार स्वयं मोके पर जाकर सेटलमेन्ट टीम द्वारा दिनांक 15.12.2017 की मौका रिपोर्ट व भू प्रबन्ध निरीक्षक की सीमांकन रिपोर्ट के अनुसार पत्थरगढी की जाकर मुटाम कायम किये जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

पक्षकारों के अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। दौरान सुनवाई अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पोंडेन्ट की ओर से प्रस्तुत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र चलने योग्य ही नहीं था क्योंकि खसरा संख्या 470 की भूमि संयुक्त जोत की है और जिनका सहखातेदारान के बीच कोई विभाजन नहीं हुआ है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी से स्पष्ट है व राजस्व नक्शे में भी खसरा संख्या 470 एक चक के रूप में दर्शाया हुआ है। सहखातेदारान के बीच इस खसरे का विभाजन होकर नक्शे में अलग-अलग तरमीम किये बिना न तो कोई सहखातेदार पैमाइश की मांग कर सकता है एवं न ही पत्थरगढी की जा सकती है। विचारण न्यायालय ने इस पर कोई गौर नहीं किया। मूल ख०सं० 470 के खातेदारान द्वारा अपने अविभाजित हिस्सों का हस्तान्तरण किया जिनके बीच कोई विभाजन नहीं किया। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन आदेश अपीलार्थी को बिना सुने ही पारित किया गया है जबकि उनकी ओर से श्री कानाराम गोदारा, अधिवक्ता को पैरवी हेतु नियुक्त किया गया। इस मामले में अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील पेश की गई थी और न्यायालय हाजा के द्वारा विस्तृत निर्देशों के साथ प्रकरण रिमाण्ड किया गया था परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा उन निर्देशों की कोई पालना नहीं की और एकतरफा फैसला कर दिया गया।



अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि विचारण न्यायालय से प्रकरण की सुनवाई का नोटिस मिलने पर अपीलार्थीगण ने अपने अधिवक्ता श्री कानाराम गोदारा को वकालतनामा सुपुर्द कर दिया परन्तु अधिवक्ता द्वारा उक्त वकालतनामा पेश करना भूल गये, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा फैसला कर दिया जिनकी जानकारी अपीलार्थीगण को नहीं हुई। दिनांक 8.4.21 को ना0 तहसीलदार व राजस्व निरीक्षक पर मौके पर आये व अपीलार्थी को बुलाकर कहा कि ख0सं0 470 की भूमि की पैमाइश की जावे व पत्थरगढी की जावेगी और फैसले की नकल बताई परन्तु अन्य सहखातेदार हाजिर नहीं होने से नाप नहीं हो सका। तत्पश्चात कोरोना महामारी के कारण लॉक डाउन लग गया तब दिनांक 12.7.21 को राजस्व रेकॉर्ड इत्यादि की नकले प्राप्त की। अतः अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जावे।

अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि ख0सं0 470 का राजस्व नक्शा अभिलेखागार में उपलब्ध नहीं था क्योंकि सम्बन्धित नक्शा जीर्णशीर्ण अवस्था में होने के कारण उसकी नकल उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। ऐसे में जब तक राजस्व नक्शा उपलब्ध नहीं हो तब तक मुस्तकिल बिन्दू न तो तलाश किये जा सकते हैं एव न ही कोई पैमाइश की जा सकती है एवं बिना पैमाइश किये ही भूमि की पत्थरगढी करना असम्भव है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि न्यायालय ने आदेश देने से पूर्व धारा 111 व 128 के प्रावधानों तथा पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी को ठीक से समझा ही नहीं अन्यथा इन प्रावधानों के तहत कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती थी।

अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि मूल प्रार्थना पत्र संख्या 42/2015 को दिनांक 27.6.2019 को स्वयं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित किया गया। उसके विरुद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष अपील पेश की जो दिनांक 16.1.2020 को स्वीकार किया व रेस्पोंडेंट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष संशोधित प्रार्थना पत्र पेश किया गया, इस प्रकार न्यायालय हाजा के आदेश की पालना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.2.2021 के द्वारा कर दी गई। जिसके विरुद्ध माननीय न्यायालय हाजा में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील विचाराधीन है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय ने यह नया आदेश किस पर आधार पर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन पत्रावली में पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.2022 को किसी लिपिकवर्गीय व्यक्ति द्वारा लिखा गया प्रतीत होता है एवं स्वयं अधीनस्थ न्यायालय ने अपना न्यायिक मस्तिष्क काम में ही नहीं लिया गया।

वकील अपीलान्ट ने यह कथन किया कि रेस्प0 द्वारा प्रस्तुत संशोधित प्रार्थना पत्र

अतिरिक्त सम्भागीय अधिवक्ता
जोधपुर

दिनांक 4.2.2020 के नोटिस रजिस्टर्ड ए0डी0 से भेजे गये व उनकी ट्रेकिंग रिपोर्ट पत्रावली पर पेश की एवं पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित भी हो गये व दिनांक 19.2.2021 को पत्रावली में निर्णय भी पारित कर दिया गया तो वर्तमान आदेश में किस ट्रेकिंग रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा आदेश पारित किया गया है, यह मानने योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं को देखा जाये तो स्पष्ट है कि पत्रावली को दिनांक 19.2.21 को अंतिम रूप से निर्णित कर दिया गया है इसके पश्चात तमाम आज्ञा सूचियों का संधारण दिनांक 10.11.22 तक एक ही दिन में इस तरह से किया गया है कि पीठासीन अधिकारी अवकाश पर ही दिखाये गये व फिर बाले-बाले दिनांक 18.11.22 को एक अलग ही तरह का निर्णय पारित कर दिया गया जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि ख0सं0 470 व इसके आस-पास के खसरा नम्बरों का कोई सही नक्शा उपलब्ध ही नहीं है बल्कि तमाम सीटे कटीफटी है तथा जोड़ जोड़कर नक्शे की नकले उपलब्ध करवाई गई है। ऐसे नक्शे के आधार पर न तो कोई सीमांकन किया जा सकता है और न ही पत्थरगढी का आदेश दिया जा सकता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई तमाम कार्यवाही व्यर्थ व्यायाम के समान है तथा अपीलाधीन आदेश के जरिये अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान को अनावश्यक मुकदमेंबाजी में धकेला गया है व वाद की बाहुल्यता को न्यौता दिया है। अतः अपीलान्त की अपील को स्वीकार किया जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

प्रत्युत्तर में रेस्प0 संख्या 1 ता 3 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्प0 संख्या एक के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश करते हुए मौजा ग्राम मोकलावास के अपनी ख0सं0 470 के रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा भूमि आई हुई होने तथा राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी व अन्य सहखातेदारों के नाम अमल दरामद किया होने और उस रकबा भूमि में से रकबा 09 बीघा 10 बिस्वा भूमि रेस्प0डेंट की खरीद की हुई है व उनका ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त खरीदशुदा भूमि पर नाप व बाड के कारण बिना किसी कारण से पडौसी खसरान के खातेदारान के साथ विवाद बन जाता है एवं फसल खडी होने के कारण भूमि का सीमांकन कर पत्थरगढी नहीं करवाई जा सकी। विवाद होने से प्रार्थी अपनी खातेदारी की पत्थरगढी करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र के अनुसार भूमि का सीमांकन व नाप करवाकर पत्थरगढी करने के आदेश पारित करावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 27.6.2019 को स्वीकार करते हुए तहसीलदार,



अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

जोधपुर को दिये गये कि मौका फर्द व दर्शाये गये नक्शे के अनुसार मौके पर माटे कायम कर पत्थरगढी किये जावें।

उक्त आदेश के विरुद्ध अति० संभागीय आयुक्त न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट के द्वारा अपील पेश की जिस पर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त न्यायालय के द्वारा दिनांक 16.1.2020 के द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करते हुए ख०सं० 470 के पडौसी खातेदारान को नोटिस जारी कर उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पक्षकारान की उपस्थिति में पुनः सीमाज्ञान के बाद नये सिरे से विधिवत पत्थरगढी करने के आदेश पारित किया गया। इसके पश्चात रेस्प० द्वारा दिनांक 4.2.2020 को संशोधित प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया जिसमें सभी को पक्षकार स्थापित किया गया व संशोधित प्रार्थना पत्र को दिनांक 19.2.2021 के आदेश द्वारा स्वीकार किया गया। दिनांक 19.1.2021 के आदेश के विरुद्ध अपीलान्टस ने अति० संभागीय आयुक्त न्यायालय के समक्ष एक अपील पेश हो रखी है।

अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण यानि अपीलान्टस के अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए रेस्प० संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए दिनांक 18.11.2022 को निर्णय पारित करते हुए निर्देशित किया कि उक्त खसरा भूमि की पक्षकारों को सूचित करते हुए उनकी मौजूदगी में तहसीलदार स्वयं मोके पर जाकर सेटलमेन्ट टीम द्वारा दिनांक 15.12.2017 की मौका रिपोर्ट व भू प्रबन्ध निरीक्षक की सीमांकन रिपोर्ट के अनुसार पत्थरगढी की जाकर मुटाम कायम किये जावें जो विधि अनुरूप होने से बहाल रखे जाने योग्य है।

रेस्प० संख्या 1 ता 3 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली रिमाण्ड होने के बाद रेस्प०डेन्ट ने ख०सं० 470 के समस्त पडौसी खातेदारों को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनाकर उनको रजिस्टर्ड नोटिस भेजे गये थे जिसकी प्राप्ति अपीलान्ट पर हो गई थी लेकिन उसके उपरान्त भी अपीलान्ट न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, और वे जानबूझकर न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहे थे। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन आदेश के क्रम में सभी पक्षकारों की मौजूदगी में नोटिस देकर के मौका देखने के लिये आदेश दिया था, जिसके क्रम में ना० तहसीलदार जोधपुर ने दिनांक 8.4.2021 को सभी प्रार्थीगणों को सूचना देकर नाप व सीमांकन करने पहुंचे लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर अशान्ति पैदा कर दी और नाप व सीमांकन नहीं किया गया, दूसरी तरफ गलत तथ्य लेकर अपील पेश कर दी। उक्त मौका फर्द की प्रति अवलोकनार्थ पेश है।



अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उक्त वादग्रस्त भूमि की सेटलमेन्ट टीम के द्वारा दिनांक 15.12.2017 को सीमाकन कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। विचारण न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः सीमाकन करने हेतु दिनांक 19.02.2021 को आदेश दिया था, दिनांक 19.2.2021 को पत्रावली को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम रूप से फैसल नहीं किया था, अन्य अप्रार्थीगण यानि अपीलान्टस को नोटिस भेजने के बाद भी उपस्थित नहीं हो रहे थे। दिनांक 29.4.2022 को वादग्रस्त भूमि का पुनः सीमाकन किया गया, पूर्व सीमाकन रिपोर्ट एवं वर्तमान सीमाकन रिपोर्ट के अनुसार ही प्रकरण में अन्तिम निर्णय लिया गया है। उक्त सीमाकन हो जाने के बाद भी अपीलान्टस कभी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुए और न ही अपना प्रत्युतर पेश किया गया। तत्पश्चात सीमाकन रिपोर्ट आने के बाद ही दिनांक 18.11.2022 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है जो विधि अनुरूप उचित होने से बहाल रखे जाने योग्य है। उक्त प्रकरण की पत्रावली वर्ष 2015 से लगातार लम्बित चल रही है जिसके कारण पत्थरगढी नहीं हो पा रही है। अतः अपीलान्टस की अपील अस्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश यथावत बहाल रखा जाकर वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमें उपलब्ध दस्तावेजों, अपीलाधीन आदेश अवलोकन किया गया। जिससे यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा ग्राम मोकलावास के ख0सं0 470 रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा की पत्थरगढी करवाये जाने हेतु आवेदन किया। उक्त आवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.6.19 को सीमाकन व नाप कर पत्थरगढी किये जाने के आदेश पारित किये गये। उक्त आदेश के विरुद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलान्ट के द्वारा अपील पेश की गई जो दिनांक 16.1.2020 को स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर उक्त ख0सं0 470 के पडौसी खातेदारान को नोटिस जारी कर उन्हें समुचित अवसर प्रदान कर पक्षकारान की उपस्थिति में पुनः सीमाज्ञान कर नये सिरे से पत्थरगढी करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुए सभी पक्षकारान को नोटिस जारी किये जाना पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है एवं उन रजिस्टर्ड नोटिसेज की ट्रेकिंग रिपोर्ट भी पेश होना प्रतीत होता है उनके बावजूद भी वर्तमान अपीलान्टस अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए जबकि उनको अधीनस्थ न्यायालय में चल रही कार्यवाही की पूर्व से ही पूर्ण जानकारी रही है। इसके अतिरिक्त अपीलान्टस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पैरवी हेतु अपना अधिवक्ता नियुक्त



अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जायपुर

किया जाना भी उल्लेखित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 19.02.2021 तथा 18.11.2022 को पारित किये गये अपीलाधीन आदेशों में वादग्रस्त खसरान के रकबा भूमि की सभी प्रभावित खातेदारान/सहखातेदारान काश्तकारान की उपस्थिति में सेटलमेन्ट टीम द्वारा 15.12.2017 की मौका रिपोर्ट एवं 29.4.2022 को किये गये सीमांकन के अनुसार नाप चौक कर सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार जोधपुर को प्रदत्त किये गये है। अपीलान्टस के द्वारा अपील पेश कर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किये जाने का उल्लेख किया है। अपीलान्टस को चाहिये था कि न्यायालय हाजा के आदेश की पालना में उनको अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर विधिवत रूप से अपना पक्ष रखते एवं सीमांकन व पत्थरगढी की कार्यवाही में अपेक्षित सहयोग करते। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किये गये है उनमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई गुजांइश नहीं है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलान्टस की दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, उत्तर जिला जोधपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.02.2021 एवं दिनांक 18.11.2022 को बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 27 अक्टूबर 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।



(ओप प्रकाश बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आसुक्त
जोधपुर